बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 01.11.2026

थाना आंवला जनपद बरेली।

थाना आंवला #bareillypolice द्वारा गो-तस्करी से संबंधित पंजीकृत मु0अ0सं0 519/2026 में प्रकाश में आये वांछित/ 25,000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तंमचा मय 02 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर (तमंचे की नाल में फंसा हुआ) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.10.2026 को श्री गणेश गिरि पुत्र श्री कृष्णानन्द गिरि (पंच, दरुनान जूना अखाड़ा), निवासी ग्राम आसपुर, बेल वाले महाराज, निधि पेट्रोल पंप के पीछे, थाना आँवला, जनपद बरेली, मय हमराह सोमवीर दिवाकर पुत्र मोहनलाल, निवासी मोहब्बतगंज गौटिया, आँवला, जनपद बरेली एवं हिमांशु सोलंकी पुत्र अनिल सोलंकी, निवासी मोहल्ला कच्चा कटरा, आँवला, जनपद बरेली द्वारा दिनांक 08/09.10.26 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध कर हत्या किए जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना आँवला पर मु0अ0सं0 519/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था । इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण 1. हैदर अली पुत्र मोहम्मद शरीफ, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी गली नं0 05, मोहल्ला मियां कॉलोनी, थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद तथा 2. शाहरुख पुत्र मासूम अली, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम दारापुर, थाना असमोली, जनपद सम्भल को एक चार पहिया वाहन संख्या UP16 AN 3816 सहित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, पुलिस मुठभेड के संबंध में मु0अ0सं0 520/2026 धारा 109 बीएनएस एवं धारा 3/25/27(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तगण को उपचार के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया था।

मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त **अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान पुत्र बब्बू शाह निवासी ग्राम रेवरी खुर्द थाना मिलक जनपद रामपुर की गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रु0 का प्रस्कार घोषित किया गया था।** दिनांक 01.11.2026 को सुबह करीब 06.02 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान उक्त **अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान** को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त थाना मिलक जनपद रामपुर का गैंगस्टर व हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में मु0अ0सं0 561/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25/27(ए) आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी आंवला के नेतृत्व में थाना आंवला पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सिकरोड़ा, बदायूं-आंवला रोड पर पूर्व में गोवंशीय पशु का वध करने की घटना में शामिल फरार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान निवासी जनपद रामपुर, ग्राम रेवती की ओर से रेकी करते हुए आंवला-रामनगर मार्ग की तरफ आ रहा है तथा उसके द्वारा पुनः किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। प्राप्त सूचना पर थाना आंवला पुलिस टीम रेवती फाटक होते हुए रामनगर मार्ग की ओर रवाना हुई। रेवती मोड़ पर ग्राम रेवती की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी में रुकने का इशारा किया गया, तो उक्त व्यक्ति पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा जिसमें गोली आरक्षी 3690 दुलीचंद की बायीं बाजू को रगड़ती हुई निकल गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने में गोली लग गई और वह हाईवे से ग्राम रेवती की ओर सड़क किनारे लगभग 200 मीटर की दूरी पर गिर पड़ा।

पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को दि0 01.11.2026 को समय करीब 06.02 बजे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम छोटा उर्फ रिजवान पुत्र बब्बू शाह निवासी ग्राम रेवरी खुर्द, थाना मिलक, जनपद रामपुर बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, दो जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस तमंचे की नाल में फंसा हुआ बरामद हुआ। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान तथा घायल पुलिसकर्मी का0 दुलीचन्द को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी आंवला भेजा गया।

उक्त के संबंध में थाना आंवला पर मु0अ0सं0 561/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25/27(ए) आयुध अधिनियम बनाम छोटा उर्फ रिजवान उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान पुत्र बब्बू शाह नि0 ग्राम रेवरी खुर्द थाना मिलक रामपुर उम्र करीब 30 वर्ष।

<u>पंजीकृत अभियोग—</u>

1.मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27(ए) आयुध अधि0 थाना आंवला बरेली । (पुलिस मुठभेड़ के संबंध में)

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान उपरोक्त-</u>

1. मु0अ0सं0 116/18 धारा 420/467/468/471/411 भादवि, थाना पटवाई, जनपद रामपुर ।
2. मु0अ0सं0 117/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना पटवाई, जनपद रामपुर ।
3. मु0अ0सं0 14/19 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना मिलक, जनपद रामपुर ।
4. मु0अ0सं0 213/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मिलक, जनपद रामपुर।
5. मु0अ0सं0 352/20 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, थाना मिलक, जनपद रामपुर।
6. मु0अ0सं0 353/20 धारा 419/468/471 भादवि, थाना मिलक, जनपद रामपुर।
7. मु0अ0सं0 213/21 धारा 269 भादवि व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 व 3/5/8 गोवध अधि0 थाना शाहबाद जनपद रामपुर।
8. मु0अ0सं0 317/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्टे थाना शाहबाद जनपद रामपुर
9. मु0अ0सं0 485/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना शाहबाद जनपद रामपुर
10. मु0अ0सं0 107/23 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना मिलक, जनपद रामपुर ।
11. मु0अ0सं0 125/23 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना मिलक, जनपद रामपुर।
12. मु0अ0सं0 274/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना मिलक, जनपद रामपुर ।
13. मु0अ0सं0 231/24 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड़), थाना मिलक, जनपद रामपुर ।
14. मु0अ0सं0 234/24 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना मिलक, जनपद रामपुर ।
15. मु0अ0सं0 238/24 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गोवध अधिनियम व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना मिलक, जनपद रामपुर ।
16. मु0अ0सं0 242/24 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मिलक, जनपद रामपुर ।
17. मु0अ0सं0 27/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना बहेड़ी, जनपद बरेली ।
18. मु0अ0सं0 519/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना आंवला, जनपद बरेली ।
19. मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27(ए) आयुध अधि0 थाना आंवला बरेली ।

<u>बरामदगी -</u>

एक अवैध तंमचा 315 बोर,
दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
एक खोखा कारतूस (तमंचे की नाल में फंसा हुआ)।

<u>पूछताछ –</u>

गिरफ्तार अभियुक्त छोटा उर्फ रिजवान उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं के वध की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से पहले क्षेत्र में रेकी करता हूं तथा ऐसे स्थानों की तलाश करता हूं, जहां छुट्टा गोवंशीय पशु आसानी से मिल सकें और हम अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दे सकें। आज भी मैं शाम से ही गोवंशीय पशुओं की तलाश में क्षेत्र में रेकी कर रहा था, लेकिन कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला, जहां अपने साथियों को बुलाकर घटना को अंजाम दे सकूं। इससे पूर्व भी मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर बदायूं-आंवला रोड पर एक सांड को मारकर उसके मांस को अपनी गाड़ी में भरकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी

पुलिस मौके पर आ गई थी। पुलिस को देखकर मैं तथा मेरा साथी सरदार उर्फ नीशू निवासी जलीलपुर, चांदपुर, जनपद बिजनौर उसकी मोटरसाइकिल से मौके से भाग गए थे, जबकि हमारे दो साथी हैदर अली एवं शाहरूख उसी दिन पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए थे।

<u>पुलिस टीम -</u>

1. निरीक्षक अपराध श्री अजीत सिह थाना आंवला जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री परमित कुमार थाना आंवला जनपद बरेली ।
3. उ0नि0 श्री अखिल प्रताप सिंह थाना आंवला जनपद बरेली ।
4. हे0का0 1089 श्याम सिह थाना आंवला जनपद बरेली ।
5. हे0का0 462 वेदप्रकाश थाना आंवला जनपद बरेली ।
6. का0 3255 अमुख कुमार थाना आंवला जनपद बरेली ।
7. का0 3690 दुलीचन्द्र थाना आंवला जनपद बरेली ।
8. का0 1121 विशाल थाना आंवला जनपद बरेली ।